

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 6/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 29 जनवरी, 2019

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 65/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 1421(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के परंतुक में, “संविधान के अनुच्छेद 279क के खंड 4 के उपखंड (छ) में यथाविनिर्दिष्ट “विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, जम्मू कश्मीर राज्य से भिन्न” शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, “धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के साथ पठित, उक्त अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (1) के पहले परंतुक में” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2019 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 65/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवम्बर, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. सं. 1421(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।